निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राजस्थान)

मिसल न0 85/प्रा0पत्र/23 तारीख दायराः 10.08.2023

राज0 सरकार जर्ये पुलिस थाना दांगीपुरा प्रार्थी

बनाम

गुलाबचंद पुत्र रतनलाल वगे0 अप्रार्थी

प्रथम सूचना रिपोर्ट स0 85/2023 थाना दांगीपुरा जर्ये अन्तर्गत 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6क वास्ते राजसात करने वाहन संख्या आर जे 17 जीए 3772

उपस्थितः— सहायक निदेशक अभियोजन

—: **निर्णय** :— दिनांकः 05.03.2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी थानाधिकारी थाना दांगीपुरा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि पुलिस थाना दांगीपुरा द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 के जुर्म में अप्रार्थी का एक वाहन आर जे 17 जीए 3772 जप्त किया है। जिसमें 05 गोवंश बेल को निर्दयतापूर्वक ठूंस—ठूंस कर भरकर परिवहन किया जा रहा था। गोवंशों को परिवहन संबंधी कोई रसीद या दस्तावेज चाहा गया तो कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार वाहन में 05 गोवंश बेल को निर्दयतापूर्वक भरकर बिना दस्तावेज के लाने ले जाने का कृत्य अपराध राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाकर प्रश्नगत वाहन को राजसात करने का निवेदन किया है।

प्रा0पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस डायरी 6क के अंतर्गत रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन संख्या आरजे 17 जीए 3772 को अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जब्त किया गया है । जप्त वाहन में गोवंश को लाने ले जानें का कोई वैधानिक दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा वक्त गिरफ्तारी नहीं बताया गया इससे प्रथम दृष्टया गोवंशों की तस्करी किया जाना प्रमाणित होता है।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन ने प्रार्थी थानाधिकारी दांगीपुरा द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि पुलिस थाना दांगीपुरा ने दिनांक 14.02.2023 को दौरानें नाकाबंदी वाहन संख्या आरजे 17 जीए 3772 रोककर चेक किया जिसमें 05 बैल बेसुधी से भरे हुए थे इस प्रकार अप्रार्थी के यह कृत्य राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का

जिला कलक्टर
झालावाड़

प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा संम्बधित थानाधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कर वाहन संख्या आरजे 17 जीए 3772 को बतोर साधन जप्त किया है जिसमें अप्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था । राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त वाहन का अधिहरण किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी दौराने बहस उपस्थित नहीं होने से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका परन्तु प्रार्थना पत्र का निस्तारण न्यायहित में वरियतानुसार किया जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रार्थना पत्र आर.बी.ए. एक्ट की धारा 6 (क) को वरियतानुसार सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना दांगीपुरा स्वीकार किया किया जाता है। पुलिस थाना दांगीपुरा द्वारा प्र.सू.रि.स. 85/2023 में जप्त वाहन आरजे 17 जीए 3772 गोवंशीय पशुओं के अवेद्य परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 (क) के तहत जप्त वाहन को राजसात (Confiscate) किया जाना उचित पाते है। अधिनियम की धारा 6(क) में दिये गए प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए उक्त कृत्य के लिए वाहन आरजे 17 जीए 3772 पर जुर्माना (fine) वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित राशि के बराबर राशि लगाया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6(क) पुलिस थाना दांगीपुरा द्वारा प्र.सू.रि.स. 85/2023 में जप्त वाहन आरजे 17 जीए 3772 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं। जप्त वाहन के मालिक को विकल्प दिया जाता है कि वे अन्दर 30 योम वाहन आरजे 17 जीए 3772 पर जुर्माना (fine) वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित राशि के बराबर राशि राजकोष में जमा करा दे तथा वाहन का मालिक होने के असल दस्तावेज पेश करे व उक्त वाहन अन्य किसी न्यायिक प्रकरण में वांछित ना हो तो वाहन को सम्बंधित मालिक की सुपुर्दगी में दिया जावे। बाद गुजरने म्याद जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (Confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक: 5.03.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड